

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 192520
ग्रा0वि0-5/सा0आ0जन0(प्रारूप प्रका0-103-09/2013)

पटना, दिनांक- 17.7.2014

प्रेषक,

अनिल कुमार सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
-सह-मुख्य SECC पदाधिकारी,
(शेखपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं बांका को छोड़कर)

विषय : सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 (SECC) अंतर्गत प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन संबंधी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र (Format) में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग: विभागीय पत्र संख्या 191355 दिनांक-09.07.2014


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ किया जाय, जिसके द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-(SECC)-11 के अन्तर्गत प्राप्त दावा/आपत्ति आवेदनों की प्रखंडवार जाँच एवं निष्पादन का सम्यक अनुश्रवण करते हुए, विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र (Format) में समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था । इस संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मात्र चार जिलों के द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है ।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में प्रतिदिन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक यथोक्त ।


विश्वासभाजन


(अनिल कुमार सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक- 192520

दिनांक- 17-7-2014

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, (शेखपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं बांका को छोड़कर) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

113

पत्रांक- 191355

पटना, दिनांक- 9-7-2014

ग्रा0 वि05/ सा0आ0जन0(प्रारूप प्रका0)-103-09/2013

प्रेषक,

एस.एम.राजू,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
-सह-
मुख्य SECC पदाधिकारी, बिहार ।

विषय :- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) अंतर्गत दावा/आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

विभिन्न स्रोतों से ऐसी सूचना/जानकारी प्राप्त हो रही है कि SECC के तहत किये गये सर्वेक्षण के दौरान काफी संख्या में व्यक्ति/परिवारों का सर्वेक्षण किसी कारणवश छूट गया है। उन सभी छुटे हुए व्यक्तियों/परिवारों का SECC सूची में नाम जोड़ा जाना आवश्यक है। अतः छुटे हुए सभी व्यक्तियों/परिवारों से विहित प्रपत्र 'C' (प्रति संलग्न) में पूर्ण रूप से भरे आवेदन प्राप्त कर उन आवेदनों की ग्रामीण/शहरी प्रश्नावली (जो भी लागू हो) के आलोक में जाँच कराकर उसे COTS सॉफ्टवेयर/NIC पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाये। वैसे व्यक्ति/परिवार, जिनके द्वारा SECC सूची में नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन किसी कारण वश विहित प्रपत्र में न दे कर एक सादे कागज में भी दिया गया है, तो उन आवेदनों को भी प्रपत्र 'C' मानते हुए उसकी जाँच उपरोक्त कंडिका में वर्णित विधि से कराते हुए उन नामों को भी नियमानुसार SECC सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जाये ।

2. प्राप्त दावे/आपत्तियों की जाँच एवं निष्पादन हेतु मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-190573 दिनांक-02.07.2014 से संसूचित दिशानिर्देश का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षणरत ग्रामीण विकास पदाधिकारियों को प्रखंड आबंटित कर उनकी सहायता हेतु IAY के तहत मानदेय पर नवनियुक्त IAY पर्यवेक्षक, आवास सहायक एवं लेखा सहायक को प्रतिनियुक्त किया जाये । जाँच कार्य में संबंधित पंचायत/प्रगणन खंड (EB) में पूर्व में प्रगणन कार्य हेतु नामित प्रगणक (Enumerator) को भी शामिल किया जाये तथा जाँचोपरांत प्रगणक एवं अन्य जाँच पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित जाँच प्रतिवेदन प्रखंड स्तर पर प्राप्त कर नियमानुसार नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाये ।

3. जिन व्यक्तियों/परिवारों का नाम वर्ष 2010-11 में हुए राष्ट्रीय जनगणना (NPR) में नहीं है तथा SECC सूची में भी उनका नाम शामिल नहीं है, उन व्यक्तियों/परिवारों से भी उपरोक्त कंडिका में विहित प्रावधानानुसार प्रपत्र 'C' में नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त कर उसके निष्पादनोपरान्त उसे COTS सॉफ्टवेयर / NIC पर अपलोड कराया जाये ।


4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि रेलवे लाईन के किनारे तथा अन्य (12) ऐसी स्थानों पर बसे झुग्गी/झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग तथा भ्रमणशील परिवार (यथा नट आदि) का नाम SECC सर्वेक्षण सूची में नहीं रहने पर उन व्यक्तियों/परिवारों का नाम उपरोक्त वर्णित विधि से SECC सूची में जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किया जाये ।

5. वैसे व्यक्ति/परिवार, जिनके द्वारा SECC के प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद निर्धारित अवधि में दावा/आपत्ति दाखिल नहीं किया गया था, से प्रखंड स्तर पर SECC अंतर्गत विशेष व्यवस्था के तहत प्राप्त किये जा रहे आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक-15.07.2014 निर्धारित की जाती है। अतः सभी संबंधितों को इस तथ्य से अवगत कराते हुए निदेशित किया जाये कि आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित समय सीमा (15.07.2014) के पूर्व उन सभी व्यक्तियों/परिवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर लिया जाये जिनका नाम NPR एवं SECC सूची में नहीं है ।

6. नयी व्यवस्था के तहत प्रखंड स्तर पर दिनांक-15.07.2014 तक प्राप्त सभी दावे/आपत्तियों के निष्पादन के लिये प्रखंडवार कालबद्ध कार्य योजना तैयार करते हुए उसका निष्पादन एवं NIC पर अपलोडिंग दिनांक-31.07.2014 तक निश्चित रूप से पूर्ण करा लिया जाये । इसकी सफलता हेतु प्रतिदिन प्रखंडवार आवेदनों की जाँच एवं निष्पादन का सम्यक अनुश्रवण कर विहित प्रपत्र (संलग्न) में जिला स्तर पर प्रतिवेदन समेकित किया जाये एवं अगली तिथि को उक्त समेकित प्रतिवेदन ई-मेल के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये ।

विश्वासभाजन


(एस.एस.राज)
सचिव

जापांक 191355

दिनांक 9.7.14

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

जापांक 191355

दिनांक 9.7.14

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक 191355

दिनांक 9.7.14

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रखंड स्तर पर विशेष व्यवस्था के तहत SECC से संबंधित प्राप्त किये जा रहे
दावे/आपत्तियों के प्राप्ति एवं निष्पादन संबंधी प्रतिवेदन**

जिला का नाम :-

प्रतिवेदन भेजने की तिथि:-

क्रमांक	प्रखंड का नाम	दिनांक 01.07.2014 के बाद प्रखंड स्तर पर खोले गये विशेष काउन्टर पर प्राप्त दावे/आपत्तियों की संख्या	प्राप्त दावे/आपत्तियों के विरुद्ध जाँच किये गये आवेदनों की संख्या	जाँच किये गये आवेदनों के विरुद्ध प्रखंड स्तरीय नामित पदाधिकारी द्वारा निष्पादित आवेदनों की संख्या	COTS सॉफ्टवेयर /NIC पर अपलोड किये गये निष्पादित आवेदनों की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
कुल:-						

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011

110

प्रपत्र - 'सी'

(एस.ई.सी.सी.-2011 के ड्राफ्ट प्रकाशन की सूचनाओं में शामिल किये जाने हेतु दावा प्रपत्र)

(उन परिवारों के लिए, जिन्हें एस.ई.सी.सी.-2011 में शामिल नहीं किया गया अथवा जो प्रगणन के समय अपने सामान्य निवास पर मौजूद नहीं थे)

पहचान संबंधी विवरण:-

1. राज्य:-----
2. जिला:-----
3. प्रखंड:-----
4. गाँव/ग्राम:-----
5. नगर पंचायत/ नगर परिषद/नगर निगम/ग्राम पंचायत:-----
6. एस.एस.एल.आई.डी. (स्टेट-स्पेसिफिक लोकेशन इन्डेन्सिफिकेशन):-----
7. वार्ड:-----
8. ई.बी./उप-खंड:-----
9. परिवार क्रम संख्या:-----

क्रम संख्या----- (कार्यालय के प्रयोग हेतु)

दिनांक-----

सेवा में,

प्रथम नामित अधिकारी-एस.ई.सी.सी.-2011

ग्राम पंचायत----- प्रखंड----- जिला----- राज्य-----

विषय:- एस.ई.सी.सी.-2011 में नाम सम्मिलित करने के संबंध में ।

महोदया/ महोदय,

मैं अपने परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि एस.ई.सी.सी.-2011के प्रगणन के क्रम में मेरे परिवार को शामिल नहीं किया गया है । प्रगणन के समय मेरा परिवार अपने सामान्य निवास पर मौजूद नहीं था ।

अतः मैं यह निवेदन करता हूँ कि क्रम संख्या पर मेरा परिवार का विवरण एस.ई.सी.सी.-2011 की सूचनाओं के उपयुक्त प्रारूप प्रकाशन में दर्ज किया जाये ।

मैं अपने परिवार का विस्तृत ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विचारण हेतुसंलग्न कर रहा हूँ ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस निवेदन से पूर्व किसी अन्य स्थान पर मेरे अथवा मेरे परिवार का प्रगणन नहीं किया गया है । तथा मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पंजीकरण हेतु ऐसा निवेदन किसी अन्य निर्धारित प्राधिकार को प्रस्तुत नहीं करूंगा । मैं अवगत हूँ कि अगर नियमों के विरुद्ध ऐसा निवेदन एक से अधिक स्थानों पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो मैं दंडात्मक/ कानूनी कार्यवाही का भागीदार होऊँगा ।

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान-----

नाम-----

वर्तमान पता-----

टेलीफोन/ मोबाईल नम्बर-----दिनांक-----

अनुलग्नक: एस.ई.सी.सी. सर्वेक्षण प्रपत्र सं0 दस्तावेज

सामान्य अनुदेश

1. आवेदनों एक ही प्रति में भरी जाए ।
2. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा थोक में प्रस्तुत किए गये आवेदनों को स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
3. अपूर्ण आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा ।
4. प्रार्थी द्वारा अहस्ताक्षरित अथवा बिना अंगूठे के निशान वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा ।
5. हस्तलिखित, टाईप किए गए या चक्रचालित फोटो कॉपी किए हुए या एन.आई.सी. की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे यदि वे विहित प्रपत्र के समरूप हों ।

प्रथम नामित अधिकारी का आदेश

(आदेश में डाटा संकलन की समय सीमा एवं प्रक्रिया, यदि विदित की जाती है, का उल्लेख होना चाहिए)
सुनवाई का संक्षिप्त विवरण :-

नाम, पद एवं मोहर

हस्ताक्षर एवं दिनांक

(यहाँ से काटे)

पावती

नगरपालिका/ग्राम पंचायत/ आपत्ति क्रम संख्या ----- दिनांक -----

श्री/श्रीमती ----- पता-----

से स्वयं को एवं अपने परिवार को एस.ई.सी.सी.-2011 के प्रारूप प्रकाशन में विलंबित पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा विचारण हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ है । उक्त आपत्ति पर सुनवाई एवं निष्पादन (प्रथम नामित अधिकारी) द्वारा दिनांक ----- को ----- बजे (पूर्वाहन/अपराहन) (स्थान) पर किया जायेगा । ये सुनवाई के दौरान इस पावती के साथ उपस्थित रह सकते हैं ।

प्राप्तकर्ता अधिकारी -----

(मोहर)

ग्राम पंचायत/ नगरपालिका-----

प्रखंड का नाम -----

जिला -----राज्य-----

सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 - प्रश्नावली शहरी

ब्लॉक A : प्रश्न का विवरण

राज्य : कोड :

ग्राम / शहर : कोड :

विकास : कोड :

वर्ग कोड : कोड :

वर्गीकृत ब्लॉक / कुल : कोड :

परिवार का प्रकार :

परिवार का प्रकार :

समास्य 1 :

समास्य 2 :

समास्य 3 :

आश्रय में रहते हैं 01 को, 02 नहीं

ब्लॉक B : एनपीआर अनुसूची से पूर्व मुद्रित है

कोड :

कोड :

ब्लॉक C : संविधान म्यान सूची से प्रतिनिधि करना है

कोड :

कोड :

परिवार का सरल रूपक
अनुभाग 2 अथवा 3 का कोलम 8
प्रमाणन प्रकार का प्रकार
(आवासीय की प्रमाणन के धार्मिक वर्गी की पर्यवेक्षण पुस्तिका के कोलम 17 में मिलेगा)

ब्लॉक D : एकस घंटे

कोड :

कोड :

रतल	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए	व्यक्ति का नाम परिवार के मुखिया से अथवा हुए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 - प्रश्नावली : शहरी
 ब्लॉक E परिवार का विवरण

विवरण के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	अनुभाग 1 आवास/निवास				अनुभाग 2 सुविधाएँ				अनुभाग 3 आसिया क्या परिवार के पास निम्नलिखित अस्तित्तां है ? (कोड दे)					
	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	क्या के कम्प्रे की छत की दीवार की प्रमुख सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ब्लॉक E के लिए कोड	कॉलम 1 निवास के कमरे की दीवार की प्रमुख सामग्री	कॉलम 2 निवास के कमरे की छत की प्रमुख सामग्री
	1. घास/पैरा/बांस आदि 2. प्लास्टिक/पालिथिन 3. गारा/बिना पकी ईट 4. लकड़ी 5. बिना सिमेंट की जुड़ाई का पत्थर 6. सिमेंट की जुड़ाई का पत्थर 7. जी.आई./धातु/एसबेसटस की चादर 8. पकी ईट 9. कांकीट 0. कोई अन्य	1. घास/पैरा/बांस आदि 2. प्लास्टिक/पालिथिन 3. हाथ से बनी टाइल 4. मशीन से बनी टाइल 5. पकी ईट 6. पत्थर 7. स्लेट 8. जी.आई./धातु/एसबेसटस की चादर 9. कांकीट 0. कोई अन्य

ब्लॉक F : अनिवार्य घोषणा
 कार्य की समाप्ति पर प्रणयक को उत्तरदाता से निम्नलिखित विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहिए :
 क्या यह परिवार धर्म/जाति/जनजाति संबंधि तथ्यों को छोड़कर, इस जानकारी को सर्वजनिक किए जाने हेतु सहमत है ? (01-हाँ, 02-नहीं) इसके बाद सभ्यक कोड दिए जाने चाहिए
 (01-हाँ, 02-नहीं)